राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

क्रमांक: प. 3(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2020 जयपुर, दिनांक : 8.06.2020

परिपत्र

विषय : कोविड–19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के मध्यनजर उपापन के लिये किये गये अनुबंधों की समयावधि में वृद्धि बाबत्।

कोविड–19 महामारी के कारण सम्पूर्ण देश में लागू लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण माल, सेवाओं एवं मानव श्रम के संचालन पर गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पाबंदियां लगाई गई जिससे परिवहन एवं यातायात भी प्रभावित हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में संवेदकों को अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है तथा वे अपने संविदात्मक दायित्वों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कर पाये हैं।

उपरोक्त स्थितियों के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोविड–19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन की स्थिति के कारण प्रभावित हुयी माल एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं संकर्मों के निष्पादन के संदर्भ में दिनांक 19.2.2020 के पश्चात् पूर्ण होने वाले संविदात्मक दायित्वों को पूर्ण करने की अवधि अधिकतम छः माह तक बढ़ाने पर संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं पर बिना परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damages) आरोपित किये विचार किया जावे। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के तहत यह अभिवृद्धित समयावधि प्रकरण विशेष एवं महामारी के कारण प्रभावित निष्पादन पर आधारित होगी तथा संवेदक के दिनांक 19.2.2020 को संविदा से संबंधित अन्य दायित्वों के निर्वहन में दोषी नहीं होने पर ही लागू होगी।

उपरोक्त कारण के अलावा प्रत्येक अनुबंध में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जावे।

समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

8/6/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

............2

GFRRules-new

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, राज्यपाल / मुख्यमंत्री / समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव / समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर / जयपुर।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव / सचिवालय के समस्त अनुभाग / विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
9. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
10. प्रधान महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. तकनीकी निदेशक (computer cell), वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव